(116)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

बुदुना साकेत तनय ललई चर्मकार निवासी ग्राम हर्दी, तह0 गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

III/निग./रीवा/भू.रा./2017/1955

————————आवेदक /निगराकार

बनाम

1— राममिलन तनय ललई

2— बेवा शांती देवी पति नंदलाल

3— अभिमान तनय श्री नंदलाल

4— हनुमान दीन तनय श्री नंदलाल

5— राममनोहर तनय श्री नंदलाल

6— रघुनथ तनय ललई

7— बेवा मानवती पति शिवनाथ

8— अजय तनय श्री शिवनाथ

9— संदीप तनय श्री शिवनाथ ।

सभी निवासी ग्राम हर्दी तह. गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

———— अनावेदकगण/गैरनिगराकारगण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तह0 गुढ़ के प्रकरण कमांक 63अ—70/2016—2017 के आदेश दिनांक 23.06.2017

कार्यवाही अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी/अभिभाषक श्री अरुण कुमार द्विवेदी द्वारा पेश/ 28-6-17

28-6-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर

आधार निगरानी के निम्नवत् है।

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 63अ—70/2016—2017 आदेश दिनांक 23.06.2017 विधि विरूद्ध

[redacted]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0।निगरानी / रीवा / भू0रा0 / 2017 / 1955

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–7–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गुढ़ जिला रीवा के आदेश दिनांक 23–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से सपष्ट है कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने दिनांक 14–6–2017 को पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होने तक स्थगन प्रदान किया और सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 30–6–2017 नियत की। अनोवदकगण की ओर से दिनांक 23–6–17 को शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर सुनवाई करते हुये तहसीलदार ने एकपक्षीय रूप से आवेदक को प्रदान किया गया स्थगन निरस्त करने में त्रुटि की है। तहसीलदार को विधिवत दोनों पक्षों को सुनवाई कर स्थगन पर आदेश पारित करता चाहिए था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–6–17 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत स्थगन के बिन्दु पर बोलता हुआ आदेश पारित करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	